राजस्थान सरकार

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)**

पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या–63/2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/198
दायर दिनांक– 01.11.2023
निर्णय दिनांक– 18.09.2024
उनवानी–

1. राधेश्याम पुत्र भभूता जाति बावरी नि0 ग्राम सिणगारा तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

––प्रार्थी

बनाम

1. मूलचंद पुत्र अमराराम जाति बलाई नि0 ग्राम सिनोदिया तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान

–अप्रार्थीगण

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति–1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ

**–:निर्णयः–**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम सिणगारा पटवार हल्का सिंगला तह0 रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 1076/1022 रकबा 0.0555 है0 भूमि एकल कब्जे काश्त व ख़ातेदारी की कृषि स्थित है तथा मौके पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की वाद वर्णित कब्जे व खातेदारी की भूमि से लगी हुई उत्तर की सीमा प्रार्थी स्वयं की वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि की सीमा लगी हुई है तथा दक्षिण दिशा की अप्रार्थी संख्या 2 के ख0न0 1029/783 व 1021/288 सरकारी भूमि की सीमा लगी हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 के ख0न0 290 की कृषि भूमि पश्चिम दिशा में सीमा लगती है। अप्रार्थीगण अनावश्यक हस्तक्षेप कर विवाद उत्पन्न करते है, लड़ाई–झगड़े करते है तथा प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि की नींव, सींव मेड़ को लेकर व्यवधान करते है। प्रार्थी ने स्वयं की एकल खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार रूपनगढ़ को प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान करने के आदेश हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम जारी किया गया तत्पश्चात सीमाज्ञान किया गया । उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी के नाम एकल कब्जे–काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी एकल खातेदारी की भूमि में मौके पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है जिससे प्रार्थी को काफी परेशानीहोती है। इसलिए पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। [illegible] होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.09.24 13:24:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ ( अजमेर )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ ( अजमेर )

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 को जवाब हेतु समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब नहीं देने पर उसका जवाब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 (पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब में पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रार्थी के पडौसी कृषक खातेदार को पक्षकार बनाया जाकर यथोचित आदेश पारित करवाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में भविष्य में विवाद ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सिणगारा के ख0न0 1076/1022 रकबा 0.0555 है. भूमि की पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में सर्वप्रथम नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जावें तदनुसार उसके पश्चात सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18·09·2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.09.24 13:24:53 IST
Reason: SelfAttested